


कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)


उप क्षेत्रीय कार्यालय/Sub Regional Office

5, भूपालपुरा, आर.के.प्लाजा, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर-313001

5, Bhupalpura, R.K. Plaza, Near Shastri Circle, Udaipur- 313001

Phone: 0294-2418806, Email: sro-udaipur@esic.nic.in

Website: www.esic.nic.in/www.esic.in

क्रमांक: A-21012(01)/4/2022-ESTT

दिनांक: 22-05-2025

~.परिपत्र/CIRCULAR.~

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुभाग-4 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के पुनर्गठन बाबत ।

Subject: Reconstitution of the Internal Complaints Committee under the provisions of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 -reg.

संयुक्त निदेशक (प्रभारी) महोदय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर ने इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक: ए-21012(01)/4/2022-स्था. दिनांकित 25.01.2024 के अधिक्रमण तथा मुख्यालय के परिपत्र संख्या:सी-12/18/41/164/विविध/13-सर्तकता दिनांकित 15.04.2014 की अनुपालना में "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधान के अनुभाग-4 के अंतर्गत क.रा.बी. निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर एवं इसके अधीनस्थ क.रा.बी. निगम कार्यालयों में कार्यरत सभी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निपटान/निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया गया है-

In supersession of this office's previously issued circular no. A-21012(01)/4/2022-ESTT. dated 25.01.2024 and in compliance with the headquarters' circular no. C-12/18/41/164/Misc/13-Vig. dated 15.04.2014, Joint Director (Incharge), Sub Regional Office, Udaipur has reconstituted an Internal Complaints Committee (ICC) under Section 4 of the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013" to address and resolve complaints related to sexual harassment of all women employees working at ESIC Sub Regional Office, Udaipur and its subordinate ESIC offices. The following members have been appointed to the committee-

क्र.सं. S.No.	नामित समिति सदस्य का नाम व पदनाम Name and designation of the nominated committee member	समिति में पदनाम Designation in the Committee	विभाग/संस्थान का नाम व पता Name and address of the Department/Institute
01	डॉ सोमा माथुर, सीएमओ	पीठासीन अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, चित्रकूट नगर, उदयपुर (राज.)-313001
	श्री दीपक कुमार मीना,		क.रा.बी.निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय,

02	उप निदेशक	सदस्य	उदयपुर, भूपालपुरा, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज.)-313001
03	श्री निखिल कुमार, सहायक निदेशक	सदस्य	क.रा.बी.निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर, भूपालपुरा, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज.)-313001
04	श्रीमती कांता नागदा (अधिवक्ता)	बाह्य सदस्य	न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, मधुबन, उदयपुर (राज.)-313001

आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों का कार्यकाल इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 03 (तीन) वर्षों अथवा समिति के पुर्नगठन हेतु जारी परिपत्र, जो भी पहले हो, तक रहेगा। अतः समिति तब तक अस्तित्व में रहकर "कार्यस्थल परमहिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013" के अनुरूप कार्य करेगी।

The tenure of the presiding officer and members of the Internal Complaints Committee will be 03 (three) years from the date of issuance of this circular or until the issuance of a circular for the reconstitution of the committee, whichever is earlier. Therefore, till then the committee will remain in existence and function in accordance with the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013".

उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर एवं इसके अधीनस्थ क.रा.बी. निगम कार्यालयों में कार्यरत कोई भी यौन उत्पीड़ित महिला कर्मि उत्पीड़न किए जाने की तिथि से तीन माह की समयावधि या घटनाओं के लगातार होने के मामलों में अंतिम घटना की तिथि के तीन माह के भीतर लिखित में आंतरिक शिकायत समिति को शिकायत कर सकती है।

Any woman employee working in the Sub Regional Office, Udaipur, and its subordinate ESIC offices, who has been subjected to sexual harassment, can lodge a written complaint with the Internal Complaints Committee within three months from the date of the incident of harassment, or in cases of continuous incidents, within three months from the date of the last incident.

Digitally signed by
Deepak Kumar Meena
Date: 22-05-2025
11:19:23

(दीपक कुमार मीना)
(Deepak Kumar Meena)
उप निदेशक (प्रशा.)
Deputy Director (Admin)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु/ Copy for information and necessary action-

- 1.** पीठासीन अधिकारी एवं समस्त सदस्य, आंतरिक शिकायत समिति |Presiding Officer and All members, Internal Complaints Committee.
- 2.** सतर्कता शाखा, मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली |Vigilance Branch, Headquarters, ESIC New Delhi.
- 3.** बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.निगम, पश्चिम अंचल, अहमदाबाद, गुजरात |Insurance Commissioner/Medical Commissioner, ESIC, West Zone, Ahmedabad, Gujarat.
- 4.** क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, जयपुर |Regional Director (In-charge), Regional Office, ESI Corporation, Jaipur.
- 5.** सभी अधिकारी/कर्मचारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर |All officers/employees, Sub Regional Office, Udaipur.
- 6.** सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय (बांसवाड़ा/कांकरोली/भीलवाड़ा/गुलाबपुरा) |All Branch Managers, Branch Office (Banswara/Kankroli/Bhilwara/Gulabpura) |
- 7.** चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, औषधालय सह शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चित्तौड़गढ़ |Medical Officer In-charge, Dispensary Cum Branch Office, ESIC Chittorgarh.
- 8.** शाखा प्रबंधक, औषधालय सह शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, उदयपुर |Branch Manager, Dispensary Cum Branch Office, ESIC Udaipur.
- 9.** निजी सहायक कक्ष, उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर |PA Cell, Sub Regional Office, Udaipur |
- 10.** सूचना पट्ट/वेबसाइट |Notice Board/Website.
